"स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा"

1) भूमिका

→ स्वतंत्र प्रेस जनहित की प्रहरी है। यह जनभावनाओं की संवाहिका और जनविश्वास की संरक्षक होने के कारण जनतंत्र की पोषिका होती है। किसी भी देश की जनता को अपने शासकों और शासनतंत्र के क्रियाकलापों की अच्छाइयों और बुराइयों का ज्ञान प्रेस के माध्यम से होता है।

हमारे देश में संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट अधिकार अंकित नहीं है। प्रेस को समय समय पर कुछ ऐसे अवरोधों से गुजरना पड़ता है जिन से मुक्ति पाकर ही स्वतंत्र प्रेस की बात की जा सकती है। उन अवरोधों को निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है।

1) सेंसरशिप

→ पूर्ण सेंसरशिप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धान्त के विपरीत है। सन् 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपात स्थिति की घोषणा की थी। बाद में असम में सेंसरशिप लगाई गई।

2) सूचना का अधिकार

→ आज सारे देश में सूचना का अधिकार लागू हो चुका है। लेकिन सरकारी गोपनीय

Scanned by CamScanner

अधिनियम की धारा पाँच के अन्तर्गत ऐसे किसी भी सरकारी सूचना या दस्तावेजो का प्रकाशन एक गंभीर अपराध है जिसे अधिकारी गोपनीय सरार देते है।

(iii) मान हानि

:→ हमारे देश मे मानहानि कानूनो मे कई पेंच का प्रावधान है। यह प्रावधान अनुचित नही है लेकिन ये ऐसे नही होने चाहिए कि उनका सहारा लेकर प्रेस को डराया धमकाया जा सके।

(iv) न्याय की अवमानना

→ पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री के० सुब्बाराव का कथन है कि "प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा कानून करता है, बदले मे कानून की मर्यादा प्रेस कायम रखता है" इसी विषय मे पत्रकारो का भी मत है कि इस के लिए सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो न्याय की या प्रेस का अवरोध या उल्लंघन करते है।

(v) डाक, तार, टेलीफोन

:- देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेज शासको ने लोगो की डाक और तार रोकने तथा टेलीफोन टेप करने की शक्तियाँ अपने हाथो मे ले रखी थी और यह कानून आज भी

(vi) समाचारो के स्रोतो की रक्षा

:- पत्रकारो को अपना काम ठीक करने के लिए अनेक स्रोतो का सहारा लेना पड़ता है

Scanned by CamScanner